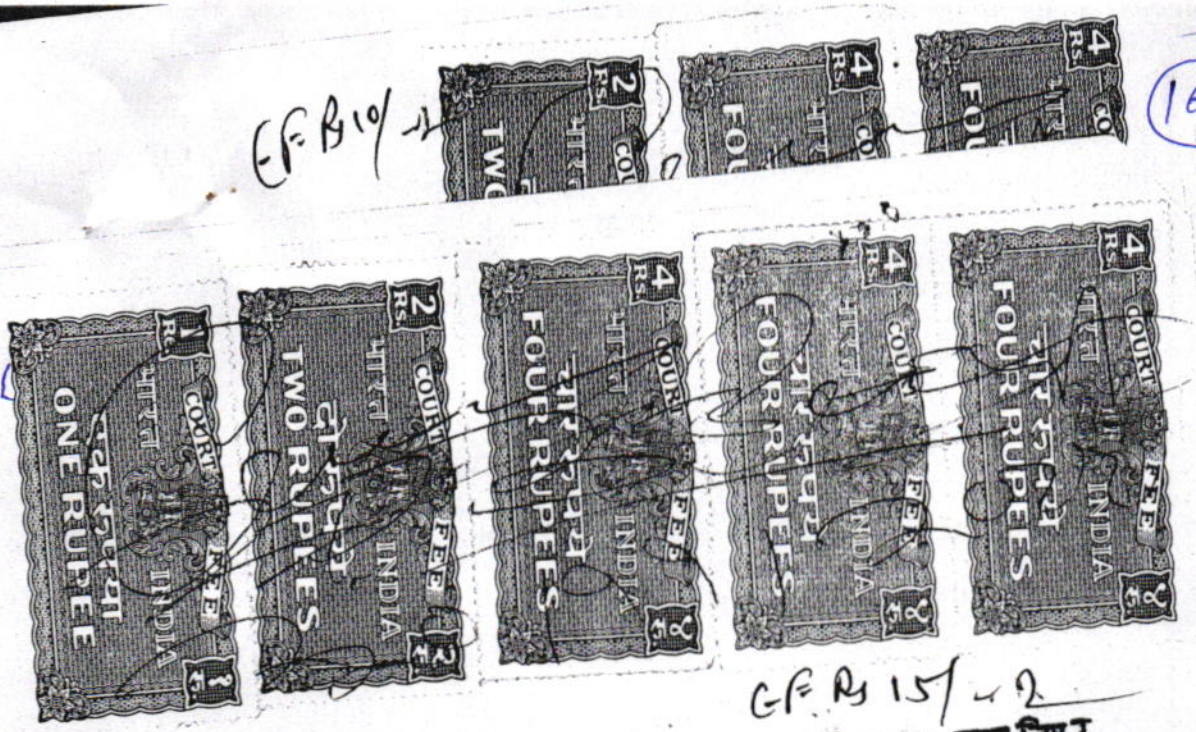

CF Rs 10/-

(167)

CF Rs 15/- 2

क्र•

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

2277-III/2000

प्रकरण क्रमांक /2000 निगरानी

स. के. अवस्थी अभिभाषक द्वारा आज दि० 30/11/2000 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

30 NOV 2000

30/11/2000

राजबहोर पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी
देवरी उर्फ जगदीशपुर, तहसील अमरपाटन
जिला सतना, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। गलवाली तनय सूरजदीन लोनी
२। रामशरण तनय गलवाली लोनी
निवासीगण देवरी उर्फ जगदीशपुर, तहसील
अमरपाटन, जिला सतना, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग दिनांक २८-१०-२००० अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक ७६१/९४-९५ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यों के सम्बन्ध में एक मत निर्णयों का निराकरण करने में कानूनी एवम् तथ्यात्मक भूल की है ।

... का आदेश, आदेश की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ,

प्रकरण क्रमांक निग0 2277–तीन/2000 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–08–2016	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित । अनावेदक अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित । 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि तहसीलदार कै न्यायालय में आवेदक के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत भूमि के विनिमय की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु तहसीलदार ने आवेदक की भूमि के बारे में विनिमय की कार्यवाही स्पष्ट नहीं किया है । जबकि अनावेदकगण का कब्जा आपसी सहमति के अनुसार था एवं जो सीमांकन की कार्यवाही से भी प्रमाणित था । अनुविभागीय अधिकारी ने भी यह माना है कि उभयपक्ष आपसी विनिमय के आधार पर काबिज है फिर भी उन्होंने तहसीलदार के आदेश को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा आवेदक द्वारा न्यायालय तहसील के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत लाया गया वाद को निराधार माना है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण का अवलोकन किया गया है ।	

जिससे यह प्रमाणित है कि विवादित भू खण्डों का आपसी विनिमय किया गया तथा जिसके आधार पर अनावेदकगण काबिज होकर कृषि कार्य करते है । दोनों ही पक्षों ने तहसीलदार के न्यायालय में विनिमय के अनुसार एक–दूसरे के भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। दोनों ही पक्षों को तद्नुसार नामांतरण करा लेना चाहिये । अनावेदकगण के विरूद्ध तहसीलदार के न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत लाया गया वाद निराधार है ।

4/ इस प्रकार अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन का आदेश दिनांक 01.06.95 निरस्त किया है ।

5/ इस प्रकार यदपि तार्किक आधार पर तो यह बात सही पाई जाती है कि अनावेदक की भूमि पर आवेदक के द्वारा कब्जा किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी तथ्य भी ज्ञात हो रहा है कि आवेदक की भूमि पर अनावेदक के द्वारा कब्जा किया गया है । दूसरे शब्दों में पूर्व में विनिमय जैसी कार्यवाही उभयपक्षों द्वारा सम्पादित की गई होगी । अतएव यह सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में " संहिता की धारा 167 भूमि का विनियम के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुये भूमिस्वामी, खातों को चकबंदी के प्रयोजनों के लिये, या खेती में और सुविधा सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग का विनिमय पारस्परित करार द्वारा कर

किया जा सकता है। " विनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर किया जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों के माध्य पूर्व में विनियम जैसी कार्यवाही संयुक्त पायी जाने पर पंजीयन अधिनियम के प्रावधान को विचार में लेते हुये गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य